भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1829

उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2025

सोमवार, 19 फाल्गुन 1946 (शक)

महिला उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

1829. डॉ. अमर सिंह:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महिला उद्यमियों के लिए व्यवसाय प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नकदी प्रवाह और मद-सूची, ग्राहकों को यथावत बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने संबंधी विपणन, लचीला तंत्र तैयार करने (बीमा, बचत, सरकारी योजनाएं, विविधीकरण, आदि), उद्यमों के सामाजिक प्रभाव को मापने और व्यावहारिक तकनीकी और नेतृत्व प्रशिक्षण जैसे गतिशील पहलुओं के संबंध में कोई योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की जाने वाली पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) सरकार महिलाओं को उनके व्यवसाय कौशल और प्रबंधन कौशल को बढ़ाने के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के महत्व को पहचानती है। सरकार ने नकदी प्रवाह प्रबंधन, विपणन रणनीतियों, लचीलापन-निर्माण तंत्र (जैसे बीमा, बचत, सरकारी योजनाएं और विविधीकरण) और व्यावहारिक तकनीकी और नेतृत्व प्रशिक्षण सहित प्रमुख गतिशील पहलुओं को संबोधित करते हुए विभिन्न उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन पहलों में महिलाओं

के बीच उद्यमशीलता की मानसिकता और क्षमताओं का निर्माण करने, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास का समर्थन करने और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता विकास के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप शामिल हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) महिला उद्यमियों को व्यवसाय प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता और नेतृत्व विकास में आवश्यक ज्ञान से लैस करने के लिए कई पहलों को लागू कर रहा है। ये पहल इसके स्वायत्त संगठनों, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (नेस्बड) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। ऐसी पहलों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा महिला उद्यमिता सहित उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित कुछ प्रमुख पहलों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध I

"महिला उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम" के संबंध में दिनांक 10.03.2025 को उत्तरित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1829 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

महिला उद्यमियों के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

1. **संकल्प योजना के तहत क्षमता निर्माण, इनक्यूबेशन सहायता, मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से उद्यमशीलता के माहौल को मजबूत करना** - एमएसडीई ने अपने स्वायत्त संस्थान, नेस्बड के माध्यम से दिसंबर 2022 से आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) योजना के तहत समाज के विभिन्न हाशिए के वर्गों और महिलाओं के उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक परियोजना को लागू किया। इस योजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों में उद्यमशीलता की भावना का निर्माण, पोषण और संवर्धन करना है। इनक्यूबेशन सपोर्ट, मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग। संकल्प को तीन चरणों में लागू किया गया है। संकल्प-1 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान कुल 23,825 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 13,861 महिलाएं हैं। संकल्प-2 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान कुल 23,841 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 18,270 महिलाएं हैं। संकल्प-3 के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 (जनवरी 2025 तक) के दौरान कुल 4274 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 2,970 महिलाएं हैं।

2. औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) - एमएसडीई के औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) के तहत, नेस्बड ने अक्टूबर 2023 से मई 2024 के बीच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन गतिविधियों के बाद उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) से गुजरने के लिए संभावित उद्यमियों का चयन किया गया। संस्थान ने लक्षित समूहों के लिए ईडीपी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है और प्रशिक्षुओं को अपने उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 (जनवरी 2025 तक) के दौरान परियोजना के तहत कुल 45,339 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 12,437 महिलाएं हैं।

3. प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) - एमएसडीई अपने स्वायत्त संस्थानों, अर्थात् नीसबड और आईआईई के माध्यम से मार्च 2024 से विशेष रूप से

कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक योजना - प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के कौशल और उद्यमशीलता घटक को लागू कर रहा है। यह परियोजना देश भर के 18 राज्यों में भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है, जिसके तहत कुल 500 वीडीवीके स्थापित किए जाने हैं। अब तक परियोजना के तहत कुल 39,576 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 32,961 महिलाएँ हैं।

4. पीएम स्व-निधि लाभार्थियों के लिए प्रायोगिक आधार पर राष्ट्रीय उद्यमशीलता विकास परियोजना - एमएसडीई ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के सहयोग से, नीसबड और आईआईई को कार्यान्वयन भागीदार के रूप में लेकर पीएम स्व-निधि लाभार्थियों के लिए फरवरी 2024 में प्रायोगिक आधार पर राष्ट्रीय उद्यमशीलता विकास परियोजना (आरयूवीपी) शुरू की। मेंटरिंग कार्यक्रम के तहत, व्यापारिक घरानों, पारंपरिक खेती/खाद्य प्रसंस्करण/हथकरघा/हस्तशिल्प का क्षेत्र दौरा और सफल उद्यमियों, बैंक अधिकारियों, सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ बातचीत भी रेहड़ी-पटरी वालों के लिए सुलभ कराई गई। परियोजना के माध्यम से 10 शहरों में 2,050 पीएम-स्वनिधि लाभार्थियों को उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाना है। वित्तीय-वर्ष 2023-24 के दौरान परियोजना के तहत कुल 1744 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 1205 महिलाएं हैं।

5. जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से उद्यमशीलता का माहौल बनाना - नीसबड ने अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से उद्यमशीलता का माहौल बनाने के लिए एक परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता-निर्माण, सलाह और सहायता के माध्यम से विभिन्न लक्षित समूहों में उद्यमशीलता की भावना का निर्माण, पोषण और संवर्धन करना है। वित्तीय-वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान परियोजना के तहत कुल 5739 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 4771 महिलाएं हैं।

6. उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए प्रायोगिक परियोजना - नेस्बड ने जनवरी 2020 से मार्च 2023 तक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा समर्थित 10 राज्यों में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के लिए एक प्रायोगिक परियोजना लागू की, जिसका उद्देश्य उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग समर्थन के माध्यम से लक्षित समूहों में उद्यमशीलता की भावना का निर्माण, पोषण और प्रचार करना था। वित्तीय वर्ष 2019-20 से

2022-23 के दौरान परियोजना के तहत कुल 5000 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 3089 महिलाएं हैं।

7. स्वावलंबिनी: एमएसडीई ने नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच के सहयोग से, स्वावलंबिनी - एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम को 07.02.2025 को पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय और मिजोरम में और 01.03.2025 को उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में लॉन्च किया। मंत्रालय अपने स्वायत्त संस्थानों नेस्बड और आईआईई के माध्यम से इस कार्यक्रम को लागू करेगा।

स्वावलंबिनी परियोजना का उद्देश्य महिला छात्रों के बीच उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करना है, उन्हें उपलब्ध सहायता तंत्र, योजनाओं, संसाधनों और नेटवर्क के बारे में जागरूकता से लैस करना है जो उद्यमिता को करियर के रूप में अपनाने के लिए आवश्यक हैं। स्वावलंबिनी परियोजना के लिए लक्षित समूह में उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) और विश्वविद्यालयों की 1200 महिला छात्र शामिल हैं। 600 चयनित छात्रों के लिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण और कौशल, वित्त तक पहुंच, बाजार संबंध, अनुपालन और कानूनी सहायता, व्यावसायिक सेवाएं और नेटवर्किंग अवसरों जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक पहलुओं को कवर करने वाला 40 घंटे का गहन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके बाद प्रतिभागियों को अपने विचारों को स्थायी संभावनाओं में बदलने में मदद करने के लिए छह महीने की सलाह और हैंडहोल्डिंग सहायता दी जाएगी। दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए, कार्यक्रम में एक संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) भी शामिल है, जहाँ भाग लेने वाले एचईआई के संकाय सदस्य पाँच दिवसीय प्रशिक्षण सत्र से गुजरेंगे। यह पहल शिक्षकों को उनके संस्थानों के भीतर महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करती है।

इसके अलावा, स्वावलंबिनी का उद्देश्य नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच की पुरस्कार-से-पुरस्कार पहल के माध्यम से कार्यक्रम से उभरने वाली सफल महिला उद्यमियों को पहचानना और पुरस्कृत करना है। कार्यक्रम महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास का समर्थन करने के लिए कार्यशालाओं, बीज निधिकरण और संरचित सलाह का लाभ उठाएगा।

8. संकल्प योजना के तहत पूर्वोत्तर में आदिवासी कारीगरों और सूक्ष्म स्तर के उद्यमियों के लिए व्यापक उद्यमशीलता और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम - आईआईई ने संकल्प योजना के तहत पूर्वोत्तर में आदिवासी कारीगरों और सूक्ष्म स्तर के उद्यमियों के लिए उद्यमिता और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया है। कार्यक्रम उत्पाद विविधीकरण, प्रौद्योगिकी उपयोग और प्रभावी व्यावसायिक गतिविधियों, पैकेजिंग और ब्रांडिंग रणनीतियों सहित क्षमता निर्माण के

महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। कार्यक्रम जनवरी 2024 से अक्टूबर, 2024 तक लागू किया गया था। आईआईई ने कार्यक्रम के तहत 10,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है।

9. प्रधानमंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई) के तहत उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी): पीएमवीडीवाई के तहत, असम के विभिन्न जिलों में कुल 2083 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित थे। 2019 से अब तक कुल 44,606 महिला लाभार्थियों को इस योजना के तहत कवर किया गया है, जिसका उद्देश्य आदिवासी महिलाओं को विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करके उनके कौशल और आजीविका को बढ़ाना है। आईआईई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उद्यमशीलता कौशल के साथ-साथ हथकरघा बुनाई, सिलाई, मोमबत्ती बनाना, जलकुंभी उत्पाद, साबुन बनाना और अगरबत्ती बनाना जैसे व्यवसायों में विभिन्न प्रकार की कौशल-निर्माण गतिविधियाँ शामिल थीं। यह पहल आदिवासी महिलाओं के उत्थान, उनकी व्यावसायिक क्षमताओं को मजबूत करके आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।

अनुबंध II

भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा देश भर में महिला उद्यमियों के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

1. वस्त्र मंत्रालय: वस्त्र मंत्रालय संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर, वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर करते हुए संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए मांग आधारित, प्लेसमेंट-उन्मुख कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना) को कार्यान्वित कर रहा है। समर्थ को देश भर में मांग आधारित आधार पर कार्यान्वित किया जाता है और योजना के तहत महिलाओं, एससी/एसटी आदि जैसे हाशिए के सामाजिक समूहों को वरीयता दी जाती है। 03.03.2025 तक, कुल 3,73,210 लाभार्थियों को प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) किया गया है, जिनमें 3,38,676 महिलाएं शामिल हैं।

2. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम □नई रोशनी□ लागू किया, जिसे वर्ष 2012-13 में सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ सभी स्तरों पर बातचीत करने के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान करके अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच सशक्तीकरण और आत्मविश्वास पैदा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। स्थापना के बाद से, लगभग 4.35 लाख लाभार्थियों को इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण मॉड्यूल महिलाओं के लिए कार्यक्रम, स्वास्थ्य और स्वच्छता, महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल और सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तनों की वकालत से संबंधित क्षेत्रों को कवर करते हैं। योजना को कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों / गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से लागू किया गया था। नई रोशनी योजना को अब एक घटक के रूप में 'प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)' नामक एक एकीकृत योजना में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके निम्नलिखित तीन उप-घटक हैं:

क. नेतृत्व और बुनियादी उद्यमशीलता विकास;

ख. उद्यमशीलता विकास;

ग. बिजनेस मेंटर/बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बिज सखी/उद्यमी मित्र)।

3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय 'नवाचार आधारित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम' लागू करता है, जो प्रतिभागियों के लिए नवाचार एवं उद्यमशीलता (आई एंड

ई) प्रशिक्षण पर केंद्रित है तथा महिलाओं सहित पूरे देश से प्रतिभागियों को उद्यमिता को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

इस योजना के तहत, उच्च शिक्षा संस्थान, इनक्यूबेटर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क और गैर-सरकारी संगठन आदि द्वारा प्रतिभागियों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार एवं उद्यमिता (आई एंड ई) प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जाते हैं, जिसमें महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम (डब्ल्यूईडीपी) पर विशिष्ट कार्यक्रम भी शामिल है।

देश में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के बीच नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) राष्ट्रीय पहल के विकास और दोहन नवाचारों (एनआईडीएचआई) के तहत विभिन्न गतिविधियों का समर्थन कर रहा है, जिससे उन्हें उद्यमशीलता क्षमता निर्माण, इनक्यूबेशन सुविधाओं तक पहुंच, मेंटरशिप और प्रारंभिक चरण के वित्तपोषण सहायता प्रदान की जा सके। ये पहल महिलाओं को अपने अभिनव विचारों को सफल व्यावसायिक उपक्रमों में बदलने के लिए सशक्त और प्रोत्साहित करती हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप सहित इनक्यूबेटेड स्टार्टअप को निधि-सीड सपोर्ट प्रोग्राम (एनआईडीएचआई-एसएसपी) के माध्यम से प्रारंभिक चरण के बीज वित्तपोषण के संदर्भ में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

डीएसटी ने महिला विश्वविद्यालयों में प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर स्थापित करने में सहायता की है, जैसे इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू), दिल्ली और श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय (एसपीएमवीवी), तिरुपति, ताकि मुख्य रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप को विकसित किया जा सके। डीएसटी ने लिंग, जाति और भौगोलिक दृष्टि से उद्यमशीलता की समावेशिता को मजबूत करने के लिए निधि-समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (आईटीबीआई) की स्थापना का भी समर्थन किया है। इसके तहत, स्टार्टअप्स, अधिमानतः महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप्स को समर्थन देने के लिए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू), दिल्ली में एक आईटीबीआई की स्थापना की गई है।

4. वित्तीय सेवा विभाग: 05.04.2016 को शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया (एसयूआई) योजना मार्च 2025 तक जारी है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच मूल्य के ऋण की सुविधा प्रदान करना है, ताकि कृषि से जुड़ी गतिविधियों सहित विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को प्रति बैंक शाखा ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

संभावित उधारकर्ताओं को ऋण के लिए बैंकों से जोड़ने के अलावा, ऑनलाइन पोर्टल संभावित एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को व्यवसाय उद्यम स्थापित करने के उनके प्रयास में मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें प्रशिक्षण से लेकर बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार ऋण आवेदन भरने तक की प्रक्रिया शामिल है।

8000 से अधिक हैंड होल्डिंग एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से, यह पोर्टल संभावित उधारकर्ताओं को विशिष्ट विशेषज्ञता वाली विभिन्न एजेंसियों जैसे कौशल केंद्र, मेंटरशिप सहायता, उद्यमिता विकास कार्यक्रम केंद्र, जिला उद्योग केंद्र, पते और संपर्क नंबर के साथ जोड़ने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शन की सुविधा प्रदान करता है।

यह योजना पूरे देश में लागू की जा रही है और इसने देश भर में एससी/एसटी और महिला उद्यमियों को 2.59 लाख से अधिक ऋण की सुविधा प्रदान की है और योजना की शुरुआत से 27.01.2025 तक महिला उद्यमियों को कुल 2.15 लाख (83%) ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

5. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (डी ओ एस जे एंड ई) : डीओ एसजे एंड ई ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम- दक्ष) योजना, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, डीएनटी, सफाई कर्मचारी सहित 18 से 45 वर्ष की आयु के हाशिए पर पड़े लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिसमें सिद्ध पोर्टल पर प्रदर्शित सभी नौकरी भूमिकाओं में सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत कवर किया गया है। यह योजना लक्षित समूह के पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लागू की जा रही है। पीएम-दक्ष योजना का मुख्य उद्देश्य लक्षित समूहों के कौशल को बढ़ाना और उन्हें वेतन-रोजगार या स्वरोजगार में रोजगार योग्य बनाना है। इस योजना के तहत, उद्यमशीलता की प्रवृत्ति वाले लक्षित समूह के युवाओं के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) तैयार किया गया है।

6. जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) - जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों, अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राईफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों द्वारा की जा रही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और बदले में उनके आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। एनएसटीएफडीसी आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) को लागू कर रहा है जो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक

विकास के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी ₹2.00 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 4% प्रति वर्ष की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर 90% तक ऋण प्रदान करता है।

7. ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) - ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई),एमओआरडी द्वारा वित्त पोषित और बैंकों के नेतृत्व में, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए महिलाओं सहित ग्रामीण युवाओं को कौशल और उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। यह कार्यक्रम 18-45 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं को लक्षित करता है, जिन्हें प्रासंगिक क्षेत्रों में बुनियादी ज्ञान है, उन्हें स्वरोजगार या वेतन रोजगार के लिए तैयार करता है। जबकि कई स्नातक उद्यमिता का पीछा करते हैं, कुछ वेतन रोजगार की तलाश भी कर सकते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय आरएसईटीआई भवनों के निर्माण का वित्तपोषण करता है और ग्रामीण गरीबों के लिए प्रशिक्षण लागत को वहन करता है। देश भर में 605 आरएसईटीआई में मुफ्त कौशल आधारित आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये आरएसईटीआई ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा अनुमोदित 64 पाठ्यक्रमों में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आरएसईटीआई में कुल प्रशिक्षुओं में से लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं हैं। आरएसईटीआई में नौ विशेष महिला केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, जिनके माध्यम से महिलाएं कौशल और उद्यमिता विकसित कर सकती हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम भी प्रशिक्षु को बैंक ऋण लेने और अपना स्वयं का सूक्ष्म उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाता है। ऐसे कुछ प्रशिक्षु नियमित वेतन वाली नौकरी भी चाह सकते हैं।

8. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय - भारत सरकार महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना के रूप में एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' का क्रियान्वयन करती है। मिशन शक्ति की छत्र योजना में दो उप-योजनाएँ हैं, जिनके नाम "संबल" और "सामर्थ्य" हैं।

'सामर्थ्य' उप-योजना में एक घटक है, अर्थात महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्लू) जिसे संकल्प के रूप में जाना जाता है: एचईडब्लू (महिलाओं के पोषण और ज्ञान-आधारित उन्नति, अंतिम-मील वितरण और क्षमता प्राप्ति के लिए सहायक कार्रवाई: महिला सशक्तीकरण केंद्र), महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर स्थापित किया गया है, जिसका

उद्देश्य केंद्रीय, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तरों पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को सुविधाजनक बनाना है और एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें, महिलाओं के लिए राज्य की कार्रवाई में अंतराल को दूर करना और सरकारी योजनाओं की पहुँच और उपयोग में सुधार करके सामाजिक परिवर्तन के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाली प्रक्रियाओं को मजबूत करने के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को बढ़ावा देना है।

देश भर में जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों के स्तर पर स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैरियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, पिछड़े और आगे के संबंध, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने सहित उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए योजनाबद्ध सेट अप।□ संकल्प: एचईडब्लू को पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है और यह 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यात्मक है।

9. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) - सरकार ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार, स्टार्टअप को पोषित करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के इरादे से 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की। 31 दिसंबर 2024 तक, 1,57,706 संस्थाओं को डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से कुल 75,935 संस्थाओं ने कम से कम एक महिला निदेशक/भागीदार होने की स्वयं रिपोर्ट की।

इसके अलावा, सरकार देश भर में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विशिष्ट पहल/कार्यक्रम लागू कर रही है। ऐसी पहलों का विवरण निम्नानुसार है:

i. महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को इक्विटी और ऋण दोनों के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग विकास बैंक (सिडबी) महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए आरक्षित है।
ii. महिलाओं के नेतृत्व वाले वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) उच्च स्तर के प्रबंधन शुल्क (0.1% प्रति वर्ष) के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। यही लाभ एआईएफ को भी दिया जाता है जो महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप पर केंद्रित हैं।
iii. स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) के तहत, गारंटी कवर का लाभ उठाने के लिए, सदस्य संस्थान संवितरण/बकाया राशि का 2% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक

गारंटी शुल्क (एजीएफ) का भुगतान करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की इकाइयों के साथ-साथ महिला उद्यमियों के लिए, सदस्य संस्थान संवितरण/बकाया राशि का 1.5% प्रति वर्ष की मानक दर का भुगतान करता है।

iv. महिला क्षमता विकास कार्यक्रम (विंग) महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए एक अनूठा क्षमता विकास कार्यक्रम है, जो महत्वाकांक्षी और स्थापित महिला उद्यमियों को उनकी स्टार्टअप यात्रा में पहचान करने और समर्थन देने के लिए है। कार्यशालाएं तकनीक, निर्माण, उत्पाद, मशीन, खाद्य, कृषि, शिक्षा आदि सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए खुली हैं। कार्यशालाएं उभरती महिला उद्यमियों और अन्य हितधारकों के लिए महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती हैं। विंग कार्यशालाएं चुनौतियों पर काबू पाने में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने और भारतीय संदर्भ में अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल से सीखी गई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाती हैं।

v. महिला उद्यमियों के लिए एक वर्चुअल इनक्यूबेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया ताकि महिलाओं के नेतृत्व वाले टेक स्टार्टअप को प्रो-बोनो त्वरण समर्थन के साथ समर्थन दिया जा सके।

vi. स्टार्टअप इंडिया हब: स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों को समर्पित एक वेबपेज तैयार किया गया है। इस पेज में केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय शामिल हैं।

vii. एस्सेन्ड स्टार्टअप कार्यशाला श्रृंखला और स्टार्टअप के लिए महिला कार्यशालाएं: सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमियों, महत्वाकांक्षी उद्यमियों और छात्रों के लिए स्टार्टअप कार्यशालाओं की एक श्रृंखला - एस्सेन्ड (एक्सीलेरेटिंग स्टार्टअप कैलिबर एंड इंटरप्रिन्योरियल ड्राइव) का आयोजन किया। इसके अलावा, कार्यशालाएं पूर्वोत्तर राज्यों में महिला उद्यमियों पर एक विशेष ध्यान देने के साथ आयोजित की जाती हैं। कार्यशालाओं में सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप, महत्वाकांक्षी उद्यमियों, निवेशकों, शैक्षणिक संस्थानों आदि जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों की भागीदारी देखी गई है।

viii. सुपरस्त्री पॉडकास्ट: भारत के सभी क्षेत्रों में अधिक संख्या में महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिलाओं पर सुपरस्त्री वीडियो पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की गई है। पॉडकास्ट महिलाओं के नवाचारों से संबंधित जागरूकता फैलाता है और देश में महिला उद्यमिता को और मजबूत करता है।

ix सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से सरकार मौजूदा योजनाओं के बारे में भी जागरूकता पैदा करती है जो महिला उद्यमियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को सहायता प्रदान करती हैं।

x. स्टार्टअप के लिए महिलाएँ: महत्वाकांक्षी और मौजूदा महिला उद्यमियों की क्षमता निर्माण के लिए महिला उद्यमियों के लिए राज्य कार्यशालाएँ राज्यों में आयोजित की गईं। कार्यशालाओं में सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता, मॉक पिचिंग और वित्त-संबंधी प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

xi. स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग मुख्य रूप से सभी भारतीय राज्यों में अच्छी प्रथाओं की पहचान करने का एक अभ्यास है। मूल्यांकन में प्रत्येक राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और विशेष प्रोत्साहनों के निर्माण और कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान शामिल है। विशेष कार्रवाई बिंदु में सक्रिय भागीदारी देखी गई है और इसके बाद भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए उपायों की रिपोर्टिंग की गई है।

xii. देश में नवाचार, समावेशिता और विविधता और उद्यमशीलता की गहराई, गुणवत्ता और प्रसार की पहचान करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए) की स्थापना की।

xiii. पिच फॉरवर्ड एक पहल है जो महिला उद्यमियों, खासकर गैर-महानगरों से आने वाली महिलाओं को बड़े निवेशकों से जुड़ने का मंच प्रदान करती है। यह विभिन्न चरणों और क्षेत्रों में स्टार्टअप को सीधे वेंचर कैपिटल फंड से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है।

*****